(पीठासीन अधिकारी श्री रमेश कुमार आर.ए.एस.)

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

भंवरलाल पुत्र हीराजी,
जाति विश्नोई नि. पादरड़ी
पोस्ट– सिवाड़ा त. चितलवाना

1.चुनाराम पुत्र रामचन्द्र,
2. भाखरराम पुत्र रामचन्द्र (फौत)
(अ) सांगीलाल पुत्र भाखरराम
(ब) मोहनलाल पुत्र भाखरराम
(स) सिणगारी पत्नि भाखरराम
3. जगमालाराम पुत्र रामचंद्र
4. किशनलाल पुत्र मिसरी उर्फ मिहरिया
5. पाबु पुत्र हिरा
6. भाटीराम पुत्र हीरा
7. मानाराम पुत्र हीरा
जति विश्नोई नि. पादरड़ी चितलवाना
8. व्यवस्थापक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक
चितलवाना
9. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 2/18

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ईकबाली जवाब
3. अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार

1. दिनांक 13.04.2018 को प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र धारा 136 आर.एल.आर एक्ट का न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम पादरड़ी पटवार क्षेत्र सिवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 131 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 4.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 रकबा 1.19 हैक्टर, कुल रकबा 17.82 हैक्टर आया हुआ है।
2. उक्त आराजी में प्रार्थि का नाम भंवरलाल पुत्र हिरा दर्ज करना था जो रेकड तज्वीज करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम भंवरलाल की जगह मथूरिया दर्ज कर दिया जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थी का नाम मथूरिया कभी नंहीं रहा है। मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल ही है जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान पत्र ,राशन कार्ड ,बैंक डायरी इत्यादि से साबित है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे लिपिकीय भूल से मथूरिया

पीठासीन अधिकारी, चितलवाना

लिख देने से में प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरस्त करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से बाद रिपोर्ट प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नम्बर मुर्तिब किया गये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 9 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लिपिकीय त्रुटि दुरस्त कर प्रार्थी का नाम मथूरिया की जगह भंवरलाल दर्ज किया जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जिस पर राज पैरोकार व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 मे सहमति जाहिर की । प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव राजस्व रेकर्ड, प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया । अतः उक्त प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136 RLR ACT को स्वीकार करना उचित समझता हूँ। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 136 RLR ACT स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पादरड़ी , पटवार क्षैत्र सिवाड़ा के खेत खसरा नम्बर 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149 कुल रकबा 17.82 हैक्टर मे प्रार्थी का नाम मथूरिया की जगह भंवरलाल वल्द हिराराम दर्ज किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार चितलवाना को तहरीर जारी है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लोक अदालत कैम्प सिवाड़ा में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना
चितलवाना